

भारत सरकार
GOVERNMENT OF INDIA

दिल्ली राजपत्र
Delhi Gazette

एस.जी.-डी.एल.-अ.-21102022-239825
SG-DL-E-21102022-239825असाधारण
EXTRAORDINARYप्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 471]	दिल्ली, बृहस्पतिवार, अक्तूबर 20, 2022/आश्विन 28, 1944	[रा.रा.रा.क्षे.दि. सं. 307
No. 471]	DELHI, THURSDAY, OCTOBER 20, 2022/ASVINA 28, 1944	[N. C. T. D. No. 307

भाग IV
PART IVराष्ट्रीय राजधानी राज्य क्षेत्र दिल्ली सरकार
GOVERNMENT OF THE NATIONAL CAPITAL TERRITORY OF DELHIखाद्य संरक्षा विभाग
अधिसूचना

नई दिल्ली, 17 अक्तूबर, 2022

सं. फा. 10(7) डीओएफएस/प्रशासन/2021/5039-5053.—खाद्य संरक्षा एवं मानक नियमावली, 2011 के नियम 2.1.3 के उप-नियम 1 के साथ पठित खाद्य संरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006 (2006 का 34) की धारा 37 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली के आयुक्त, खाद्य संरक्षा एतद्वारा खाद्य संरक्षा एवं मानक नियमावली, 2011 के नियम 2.1.3 के उप-नियम 1 के अन्तर्गत निर्धारित सांविधिक प्रशिक्षण को सफलतापूर्वक पूर्ण करने वाले निम्नलिखित व्यक्तियों को खाद्य संरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006 के प्रयोजनार्थ संपूर्ण राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली के लिये खाद्य संरक्षा अधिकारी के रूप में नियुक्त करते हैं:—

1. सुश्री पूनम
2. श्री मंजूर अली
3. श्री संजय
4. श्री पुनीत कुमार
5. श्री सन्नी राव

नेहा बंसल, आई ए एस, आयुक्त, खाद्य संरक्षा

DEPARTMENT OF FOOD SAFETY**NOTIFICATION**

New Delhi, the 17th October, 2022

No. F. 10(7)/DoFS/Admin/2021/5039-5053.—In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of Section 37 of the Food Safety and Standard Act, 2006(34 of 2006), read with sub-rule 1 of Rule 2.1.3 of Food Safety and Standard Rules, 2011, the Commissioner of Food Safety, National Capital Territory of Delhi, hereby appoints the following persons having successfully completed the statutory training prescribed under sub-rule 1 of Rule 2.1.3 of Food Safety and Standard Rules, 2011, as Food Safety Officer, for the entire area of National Capital of Delhi, for the purpose of Food Safety and Standard Act, 2006:-

1. Ms.Poonam
2. Sh. Manjoor Ali
3. Sh. Sanjay
4. Sh. Puneet Kumar
5. Sh. Sunny Rao

NEHA BANSAL, IAS, Commissioner of Food Safety